

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 57/2020

आदर्श को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, शाखा: आदर्श को-ओपरेटिव बैंक लि0,
कचहरी रोड, अजमेर-305001(राज0) जरिये प्राधिकृत अधिकारी।

.....प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

- (1) श्री पुखराज गुर्जर पुत्र श्री पांचु लाल (ऋणी एवं रहनकर्ता),
पता:- मकान नं0 574, जी0एल0ओ0 कॉलोनी, वार्ड नं0 48,
अजमेर-305001 (राजस्थान)
 - (2) श्री राज कुमार चौहान पुत्र श्री राम प्रसाद चौहान (जमानती)
पता:- नया घर, नई बस्ती, गुलाब बाडी, अजमेर 305001 (राजस्थान)
 - (3) श्रीमति गीता पत्नी श्री जीवराज (जमानती)
पता:- वार्ड नं0 7, सिंघलो का मोहल्ला, मसूदा, अजमेर 305001 (राजस्थान)
-अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिकसटक्शन
आफ फाईनेशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- श्री अजय टांक

प्राधिकृत अधिकारी

आदेश

दिनांक 24.02.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण 01 लगायात 02 को दिनांक 27.08.2012 को रु. 5,85,000/- (अक्षरे पांच लाख पिव्यासी हजार मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर कुन्दन नगर, पहाडी क्षेत्र, अजमेर (राजस्थान) स्थित संपत्ति, खसरा संख्या 3819 का भाग क्षेत्रफल 127.74 वर्ग गज, जिसका पंजीयन उप पंजीयक, अजमेर द्वारा दिनांक 06.07.2009, पुस्तक सं0 01, जिल्द सं0 1676, पृष्ठ सं0 132 कम सं0 2009002690 से पंजीयन किया गया था। जो श्री पुखराज गुर्जर पुत्र श्री पांचु लाल के मालिकाना हक की है, जिसकी चतुर्दशी : उत्तर में:-श्री गुर्जर की सम्पत्ति, दक्षिण में:-श्री यादव का मकान, पूर्व में:-आम रास्ता, 12 फीट, पश्चिम:-श्री गुर्जर की सम्पत्ति, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.07.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 05.10.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये-4,66,796.44/- (अक्षरे चार लाख छयासठ हजार सात सौ छियानवे एवं चवालीस पैसे मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्मलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की



2/24/20

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी को सुना गया। प्राधिकृत अधिकारी प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति, कुन्दन नगर, पहाडी क्षेत्र, अजमेर (राजस्थान) स्थित संपत्ति, खसरा संख्या 3819 का भाग क्षेत्रफल 127.74 वर्ग गज, जिसका पंजीयन उप पंजीयक, अजमेर द्वारा दिनांक 06.07.2009, पुस्तक सं० 01, जिल्द सं० 1676, पृष्ठ सं० 132 कम सं० 2009002690 से पंजीयन किया गया था। जो श्री पुखराज गुर्जर पुत्र श्री पांचु लाल के मालिकाना हक की है, जिसकी चतुर्दशी : उत्तर में:-श्री गुर्जर की सम्पत्ति, दक्षिण में:-श्री यादव का मकान, पूर्व में:-आम रास्ता, 12 फीट, पश्चिम:-श्री गुर्जर की सम्पत्ति, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 24.02.2020 को सुनाया गया।



(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

